



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032021-226301  
CG-DL-E-31032021-226301

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943

No. 184]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

सं. 21/2021-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 235(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

i) क्रम संख्या 448छ के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“ निम्नलिखित में प्रयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं-

(i) मोटर वाहन, जो कि शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आते हैं;

(ii) मोटर कारें, जो कि शीर्षक 8703 के अंतर्गत आती हैं; या

(iii) मोटर साइकिलें, जो कि शीर्षक 8711 के अंतर्गत आती हैं”;

- ii) क्रम संख्या 448ज के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-  
 “निम्नलिखित में प्रयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं-  
 (i) मोटर वाहन, जो कि शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आते हैं;  
 (ii) मोटर कारें, जो कि शीर्षक 8703 के अंतर्गत आती हैं; या  
 (iii) मोटर साइकिलें, जो कि शीर्षक 8711 के अंतर्गत आती हैं”;
- iii) क्रम संख्या 485क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-  
 “निम्नलिखित में प्रयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं-  
 (i) मोटर वाहन, जो कि शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आते हैं;  
 (ii) मोटर कारें, जो कि शीर्षक 8703 के अंतर्गत आती हैं; या  
 (iii) मोटर साइकिलें, जो कि शीर्षक 8711 के अंतर्गत आती हैं”;
- iv) क्रम संख्या 490 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-  
 “निम्नलिखित में प्रयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं-  
 (i) मोटर वाहन, जो कि शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आते हैं;  
 (ii) मोटर कारें, जो कि शीर्षक 8703 के अंतर्गत आती हैं; या  
 (iii) मोटर साइकिलें, जो कि शीर्षक 8711 के अंतर्गत आती हैं”;
- v) क्रम संख्या 494 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, “9028 90 10, 9030 31 00, 9030 90 10” प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- vi) क्रम संख्या 494 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“494क.	9032 89	निम्नलिखित में प्रयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं- मोटर वाहन, जो कि शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आते हैं; मोटर कारें, जो कि शीर्षक 8703 के अंतर्गत आती हैं; या मोटर साइकिलें, जो कि शीर्षक 8711 के अंतर्गत आती हैं	7.5%	-	-”;

- vii) क्रम संख्या 495 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “15%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- viii) क्रम संख्या 516ग के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-  
 “निम्नलिखित में प्रयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं-  
 (i) मोटर वाहन, जो कि शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आते हैं;

- (ii) मोटर कारें, जो कि शीर्षक 8703 के अंतर्गत आती हैं; या
- (iii) मोटर साइकिलें, जो कि शीर्षक 8711 के अंतर्गत आती हैं;
- ix) क्रम संख्या 528 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;
- x) क्रम संख्या 528क के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "15%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- xi) क्रम संख्या 528क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"528कक.	8504 40 30	विद्युत चालित वाहनों या हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण में प्रयोग आने वाले बैटरी चार्जर	15%	-	9";

- xii) क्रम संख्या 529 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;
- xiii) क्रम संख्या 563 के समक्ष, कॉलम (3) में, "या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए अपेक्षित माल" शब्दों के पश्चात, ", क्रम संख्या 564क, 564ख या 564ग के समक्ष उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न" संख्या और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- xiv) क्रम संख्या 563क के समक्ष, कॉलम (3) में, "सभी माल" शब्दों के पश्चात, ", क्रम संख्या 564क, 564ख या 564ग के समक्ष उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न" संख्या और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- xv) क्रम संख्या 564 के समक्ष, कॉलम (3) में, "पुर्जे और उपसाधन" के पश्चात, ", जो कि क्रम संख्या 564क, 564ख या 564ग के समक्ष उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न हो" संख्या और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- xvi) क्रम संख्या 564 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"564क.	9018	एक्स-रे मशीनों (शीर्षक 9022) के विनिर्माण में प्रयोग आने वाले स्टैटिक यूजर इंटरफेस	5%	-	9
564ख	9022	एक्स-रे मशीनों (शीर्षक 9022) के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली निम्नलिखित वस्तुएं, यथा:- (i) एक्स-रे डायग्नोस्टिक टेबल; (ii) वर्टिकल बक्की; (iii) एक्स-रे ट्यूब सस्पेंशन; हाई फ्रिक्वेन्सी एक्स-रे जनरेटर (>25KHz, <500 mA)	10%	-	9
564ग	9022	एक्स-रे मशीनों (शीर्षक 9022) के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली निम्नलिखित वस्तुएं, यथा:- (i) एक्स-रे ग्रिड; (ii) मल्टी लीफ कोलीमेटर/आइरिश	5%	-	9";

xvii) क्रम संख्या 581ख के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“निम्नलिखित में प्रयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं-

- (i) मोटर वाहन, जो कि शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आते हैं;
- (ii) मोटर कारें, जो कि शीर्षक 8703 के अंतर्गत आती हैं; या
- (iii) मोटर साइकिलें, जो कि शीर्षक 8711 के अंतर्गत आती हैं”;

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/75/2020-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 60(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2021

#### No. 21/2021-Customs

**G.S.R. 235(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Table, -

- i) against S.No. 448G, for the entry in column (3), the following entries shall be substituted, namely:-
  - “ All goods other than those suitable for use in –
  - (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704;
  - (ii) motor cars falling under heading 8703; or
  - (iii) motor cycles falling under heading 8711”;
- ii) against S.No. 448H, for the entry in column (3), the following entries shall be substituted, namely:-
  - “ All goods other than those suitable for use in –
  - (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704;
  - (ii) motor cars falling under heading 8703; or
  - (iii) motor cycles falling under heading 8711”;

- iii) against S.No. 485A, for the entry in column (3), the following entries shall be substituted, namely:-  
 “ All goods other than those suitable for use in –  
 (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704;  
 (ii) motor cars falling under heading 8703; or  
 (iii) motor cycles falling under heading 8711”;
- iv) against S.No. 490, for the entry in column (3), the following entries shall be substituted, namely:-  
 “ All goods other than those suitable for use in –  
 (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704;  
 (ii) motor cars falling under heading 8703; or  
 (iii) motor cycles falling under heading 8711”;
- v) against S.No. 494, for the entries in column (2), the entries “9028 90 10, 9030 31 00, 9030 90 10” shall be substituted;
- vi) after S.No. 494 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“494A.	9032 89	All goods other than those suitable for use in – (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703; or (iii) motor cycles falling under heading 8711	7.5%	-	”;

- vii) against S.No. 495, for the entry in column (4), the entry “15%” shall be substituted;
- viii) against S.No. 516C, for the entry in column (3), the following entries shall be substituted, namely:-  
 “ All goods other than those suitable for use in –  
 (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704;  
 (ii) motor cars falling under heading 8703; or  
 (iii) motor cycles falling under heading 8711”;
- ix) S.No. 528 and the entries relating thereto shall be omitted;
- x) against S.No. 528A, for the entry in column (4), the entry “15%” shall be substituted;
- xi) after S.No. 528A and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“528AA.	8504 40 30	Battery charger for use in manufacture of electrically operated vehicle or hybrid vehicle.	15%	-	9”;

- xii) S.No. 529 and the entries relating thereto shall be omitted;
- xiii) against S.No. 563, in column (3), after the words “or veterinary use”, the words “, other than goods mentioned against serial numbers 564A, 564B or 564C”, shall be inserted;

- xiv) against S.No. 563A, in column (3), after the words “All goods”, the words “, other than goods mentioned against serial numbers 564A, 564B or 564C”, shall be inserted;
- xv) against S.No. 564, in column (3), after the figure “9022”, the words “, other than goods mentioned against serial numbers 564A, 564B or 564C”, shall be inserted;
- xvi) after S. No. 564 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“564A.	9018	Static User Interface for use in manufacture of X-Ray machines (heading 9022)	5%	-	9
564B	9022	The following goods for use in manufacture of X-Ray machines (heading 9022), namely:- (i) X-Ray Diagnostic Table; (ii) Vertical Bucky; (iii) X-Ray Tube Suspension; High Frequency X-Ray Generator (>25KHz, <500 mA)	10%	-	9
564C	9022	The following goods for use in manufacture of X-Ray machines (heading 9022), namely:- (i) X-Ray Grid; (ii) Multi Leaf Collimator/Iris	5%	-	9”;

- xvii) against S.No. 581B, for the entry in column (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“ All goods other than those suitable for use in –

- (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704;  
(ii) motor cars falling under heading 8703; or  
(iii) motor cycles falling under heading 8711”;

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2021

[F. No. 354/75/2020–TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note :** The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 and last amended *vide* notification No. 02/2021-Customs, dated the 1<sup>st</sup> day of February, 2021, published *vide* number G.S.R. 60(E), dated the 1<sup>st</sup> day of February, 2021.